

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (DDO), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।
प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार ।
प्राचार्य, सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, बिहार
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार ।
निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0 / निदेशक, आई0जी0आई0सी0 /
निदेशक, एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0, शेखपुरा, पटना ।
निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना / राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना
निदेशक, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना ।
निदेशक, राजेन्द्रनगर अस्पताल, पटना
निदेशक, मॉडल ब्लड बैंक, जयप्रभा अस्पताल परिसर, कंकड़बाग, पटना ।
निदेशक, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना ।
निदेशक आयुर्वेद (DDO) आयुष निदेशालय, बिहार, पटना
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, सभी सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक, सभी अनुमंडलीय अस्पताल।
उपाधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्थानीय औषधालय।
सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी / जिला मलेरिया पदाधिकारी।
सहायक निदेशक फायलेरिया, बिहार, पटना।
अपर निदेशक-सह-नियंत्री पदाधिकारी, मलेरिया / कुष्ठ एवं यक्ष्मा।
सभी जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी।
निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना / दरभंगा।
सभी जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, बिहार।
अधीक्षक, महारानी जानकी कुंवर अस्पताल, बेतिया।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया ।
अधीक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी ।
अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना / गया।
अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रा0स्वा0केन्द्र / सभी रेफरल अस्पताल।
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय:-CFMS के Office Admin के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-120(7) दिनांक-28.12.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अलोक में कहना है कि पूर्व में ही वित्त विभाग के पत्रांक-9242 दिनांक-17.12.18 के क्रम **CFMS** के **System Admin Module** में कार्यालयों से संबंधित की गयी प्रविष्टि में एकरूपता लाने एवं की गयी प्रविष्टि को त्रुटिहीन एवं पूर्ण बनाना की अपेक्षा के साथ अपने एवं अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों के

स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित कर संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उनके ई-मेल पर दिनांक-01 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश आप सभी को संसूचित किया गया था, जिसका अबतक पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं हो सका है। यह खेदजनक है।

2. अनुरोध है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं दिनांक-16.01.2019 तक निश्चित रूप से संबंधित सभी सूचना एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करा दी जाय अन्यथा संबंधित संस्थान/निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माह जनवरी का वेतन अवरूद्ध करने के लिए बाध्य होना होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 122(7)

पटना, दिनांक- 11-01-2019

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर सह सदस्य, सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों (सी0एफ0एम0एस0 / पी0एफ0एम0एस0 / जेम-पोटल कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

0 11.1.19

सरकार के संयुक्त सचिव।